

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन मे उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

(092) सवाई माधोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 मे अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री किरोड़ी लाल

3/80 ,एस-एफ-एस- अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन मे स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : महात्मा गाँधी राजकीय विध्यालय, सवाई माधोपुर

दिनांक : 03.12.2023

हस्ताक्षर.....

(अनिल कुमार चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

(092) सवाई माधोपुर

(अनिल कुमार चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम)

वि. नि. क्षे. सवाई माधोपुर (92)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **92-Sawai Madhopur** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

KIRODI LAL

3/80,s.f.s. Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Mahatma Gandhi Government School, Sahunagar, Sawai Madhopur

Date : 03-12-2023


(Anil Kumar Choudhary)

Returning Officer

092-Sawai Madhopur

Legislative Assembly Constituency

(अनिल कुमार चौधरी)

रिटर्निंग अधिकारी (एसडीएम)

वि. नि. क्षे. सवाई माधोपुर (92).